374

संख्या– 1217 / III(3)/2015–01(एन0एच0)/2011

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः 23 अक्टूबर, 2015

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 3664/57 बजट (रा0मार्ग अनु0–आयोजनेत्तर)/2015–16, दिनांक 09.10.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–RW/G-23012/01/2015-W&A, दिनांक 15.9.2015 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए " बाढ़ से क्षतिग्रस्त (नया) एफ0डी0आर0 (एन)" मद के लिए रु0 952.00 लाख (रुपये नौ करोड़ बावन लाख) आवंटित/स्वीकृत किये गये हैं। उक्त धनराशि, वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु भारत सरकार से अब तक स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु अब तक शासन के पूर्व वित्तीय स्वीकृति आदेश सं0 641/III(3)/2015–01(एन0एच0)/2011 दिनांक 27 मई, 2015 द्वारा सामान्य मरम्मत (ओ0आर0) हेतु रु0 129.00 लाख, आदेश सं0 832/III(3)/2015–01(एन0एच0)/2011 दिनांक 27 जुलाई, 2015 द्वारा क्रमशः सामान्य मरम्मत (ओ0आर0) हेतु रु0 1251.00 लाख, " बाढ़ से क्षतिग्रस्त (चालू) एफ0डी0आर0(सी) " हेतु रु0 992.00 लाख कुल 2243.00 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु " बाढ़ से क्षतिग्रस्त (नया) एफ0डी0आर0 (एन)" मद में रु0 952.00 लाख (रुपये नौ करोड़ बावन लाख) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– राज्य निर्माण से अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि तथा प्रतिवर्ष व्यय के सापेक्ष भारत सरकार को प्रेषित किय गये प्रतिपूर्ति दावे तथा भारत सरकार से प्राप्त प्रतिपूर्ति का पुष्ट एवं प्रमाणित पूर्ण विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, साथ ही भारत सरकार से विगत वर्षों की प्रतिपूर्ति हेतु लम्बित धनराशि को समयबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2015–16 में ही प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii)–उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–252/III(3)/2011–901(ए0डी0बी0)/2008 दिनांक 06.06.2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii)–अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों हेतु किया जाय, जिनके लिए यह धनराशि भारत सरकार से स्वीकृत की गई है। आवंटित धनराशि के सापेक्ष चिन्हित कार्यों हेतु नियमानुसार आगणन गठित करते हुए उनकी सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि आवश्यकतानुसार/नियमानुसार व्यय की जाय।

(iv)–व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, अन्य वित्तीय नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(v)–स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मदवार विवरण शासन/भारत सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi)–धनराशि का व्यय करते समय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और उक्त धनराशि के विपरीत भारत सरकार से अविलम्ब आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(vii)–स्वीकृत की जा रही धनराशि को दिनांक 31.03.2016 तक उपयोग कर लिया जायेगा और समय–समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार व राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(viii)– उपरोक्त के अतिरिक्त इस संबंध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक–3054 सड़क तथा सेतु–01 राष्ट्रीय राजमार्ग–आयोजनेत्तर–337 सड़क निर्माण कार्य–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं–01–राष्ट्रीय मार्ग अनुरक्षण (100 प्रतिशत के0स0)–29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त "बाढ़ से क्षतिग्रस्त (नया) एफ0डी0आर0(एन) " हेतु रु0 952.00 लाख (रुपये नौ करोड़ बावन लाख) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार अलोटमेन्ट आई.डी. सं0–S1510220205 दि. 21.10.2015 द्वारा आपको आवंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है। अतः तद्नुसार अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 एवं शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01.04.2015 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 1217 (1)/III (3)/2015, तद्दिनंकित।

प्रतिलिपि, निम्नखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक (पी0&बी), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, गढवाल/कुमायूं क्षेत्र, पौड़ी/अल्मोड़ा।
4. अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी/समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ब्रिजेज, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
7. अधीक्षण अभियन्ता, 10 वॉ राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–2/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. लोक निर्माण अनुभाग–2/गार्ड बुक, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव।